

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 124215 (अभि.) ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 27-09-12
ग्रा0वि0 - 4(6)/अभि०- 01- 31/2011 पार्ट-1

प्रेषक,

अजय कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
(बांका, बक्सर, पूर्णियां, सीवान एवं अरवल जिला को छोड़कर) ।

विषय:- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए व्यय हेतु विमुक्त केन्द्रांश (प्रथम किस्त) का देय अनुपातिक सहायक अनुदान की राशि का आवंटन ।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 122450 दिनांक 14.09.12 ।
महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में कहना है कि जिला ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर.- 17014/01/2012-13 डी.आर.डी.ए. (क्रमांक-2) दिनांक 21.05.12 एवं पत्रांक- आर.- 17014/03/2012-13 डी.आर.डी.ए. (क्रमांक-32) दिनांक 17.07.12 द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए निम्नलिखित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, को केन्द्रांश (प्रथम किस्त) के रूप में कुल 1424.19 लाख (चौदह करोड़ चौबीस लाख उन्नीस हजार) रुपये विमुक्त की गई है ।

जिसका अनुपातिक सहायक अनुदान की कुल राशि 474.730 लाख (चार करोड़ चौहत्तर लाख तिहत्तर हजार) रुपये निम्नलिखित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम 7 के अनुसार आवंटित की जाती है ।

क्र.सं.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का नाम	वर्ष 2012-13 में विमुक्त केन्द्रांश की राशि		वर्ष 2012-13 में अनुपातिक सहायक अनुदान की राशि		रूपये लाख में	
		प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अररिया	38.92	-	12.973	-	12.973	
2	औरंगाबाद	44.38	-	14.793	-	14.793	
3	बेगूसराय	45.74	-	15.247	-	15.247	
4	भभुआ	44.38	-	14.793	-	14.793	
5	भागलपुर	45.74	-	15.247	-	15.247	
6	भोजपुर	44.38	-	14.793	-	14.793	
7	सारण	45.74	-	15.247	-	15.247	
8	दरभंगा	45.74	-	15.247	-	15.247	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	पूर्वी चम्पारण	45.74	-	15.247	-	15.247	
10	गया	45.74	-	15.247	-	15.247	
11	गोपालगंज	44.38	-	14.793	-	14.793	
12	जहानाबाद	38.92	-	12.973	-	12.973	
13	जमुई	38.92	-	12.973	-	12.973	
14	कटिहार	45.74	-	15.247	-	15.247	
15	खगडिया	38.92	-	12.973	-	12.973	
16	किशनगंज	38.92	-	12.973	-	12.973	
17	लखीसराय	38.92	-	12.973	-	12.973	
18	मधेपुरा	44.38	-	14.793	-	14.793	
19	मधुबनी	45.74	-	15.247	-	15.247	
20	मुंगेर	38.92	-	12.973	-	12.973	
21	मुजफ्फरपुर	45.74	-	15.247	-	15.247	
22	नालंदा	45.74	-	15.247	-	15.247	
23	नवादा	44.38	-	14.793	-	14.793	
24	पटना	45.74	-	15.247	-	15.247	
25	रोहतास	45.74	-	15.247	-	15.247	
26	सहरसा	38.92	-	12.973	-	12.973	
27	समस्तीपुर	45.74	-	15.247	-	15.247	
28	शेखपुरा	38.92	-	12.973	-	12.973	
29	शिवहर	31.41	-	10.470	-	10.470	
30	सीतामढ़ी	45.74	-	15.247	-	15.247	
31	सुपौल	44.38	-	14.793	-	14.793	
32	वैशाली	45.74	-	15.247	-	15.247	
33	पश्चिम चम्पारण	45.74	-	15.247	-	15.247	
	कुल	1424.19	-	474.730	-	474.730	

(कुल आवंटित राशि - चार करोड़ चौहत्तर लाख तिहत्तर हजार रुपये) मात्र

2. यह आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेया संख्या- 122450 दिनांक 14.09.12 द्वारा स्वीकृत राशि से किया गया है ।
3. आवंटित राशि मांग संख्या- 42, मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-01-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101-जिला ग्राम विकास एजेंसियों को आर्थिक सहायता, उप शीर्ष-0103-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - डी.आर.डी.ए. प्रशासन विपत्र कोड

- संख्या- पी. 2501011010103 राज्य योजना स्कीम कोड- RUR-5374 विषय शीर्ष- 31 04 सहायक अनुदान वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकलनीय है ।
4. यह आंबटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 में निहित निर्देश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है । संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एक मुश्त राशि की अग्रिम निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
 5. प्रासंगिक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या द्वारा सभी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जा चुका है ।
 6. आवंटित राशि का व्यय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) की मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों एवं निकासी एवं व्यय के क्रम में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/अनुदेशों एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8593 दिनांक 27.11.07 की कंडिका-2 में दिये गये निर्देश के आलोक में प्रकीर्ण विपत्र (कोषागार फार्म संख्या-7) का उपयोग किया जाय।
 7. राशि की निकासी के संबंध में कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि तथा व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाय ।
 8. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को दी जा रही है ।

विश्वासभाजन
27.4.12

(अजय कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 124215 (मा.दे.) ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 27-09-12

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/श्रीमती प्रिति नाथ, निदेशक (डी.आर.डी.ए.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके पत्रांक आर.-17014/01/2012-13 डी.आर.डी.ए. (क्रमांक-2) दिनांक 21.05.12 एवं पत्रांक- आर.- 17014/03/2012-13 डी.आर.डी.ए. (क्रमांक-32) दिनांक 17.07.12 के प्रसंग में/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / विशेष कार्य पदाधिकारी / संयुक्त निदेशक (पशुपालन) / प्रशाखा पदाधिकारी 6 एवं 10 / सांख्यिकी कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग / कार्यवाहक सहायक को 10 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विश्वासभाजन
27.9.12

सरकार के संयुक्त सचिव